रॉंची समाहरणालय, रॉंची
(उप श्रमायुक्त का कार्यालय ,रॉंची)
<u>अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना</u>

रॉंची जिले में सामाजिक सुरक्षा योजनांतर्गत कम्बल वितरण कार्यक्रम के अधीन वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले निर्धन, अपंग, विधवा, भूमिहीन, निःसहाय वृद्ध, एवं भिक्षुओं के बीच मुफ्त कम्बल वितरण करने हेतु कम्बल आपूर्ति के लिए मुहरबंद निविदा अधिकृत निबंधित प्रतिष्ठानों से आमंत्रित की जाती हैं :–

क्रं०	सामग्री का नाम	साईज	वजन	अधिकतम दर
1.	कम्बल(ऊनी)	90''X60''	2 किलोग्राम(न्यूनतम)	300/–(तीन सौ)रूपया मात्र प्रति अदद

<u>नियम एवं शर्तें</u> :–
निविदा मुहरबंद लिफाफों में उप श्रमायुक्त का कार्यालय, श्रम भवन,डोरण्डा,रॉंची में दिनांक– 12.12.18 के पूर्वाह्न 12–00 बजे तक या इसके पूर्व प्राप्त की जाएगी। प्राप्त निविदा दिनांक 12.12.18 के 3:00 बजे /~~पूर्वाह्न~~ /अपराह्न अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में गठित जिलास्तीय क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा खोलने के समय निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थित रहना अनिवार्य है। इच्छुक निबंधित फर्म/ खादी ग्रामोद्योग/सरकारी/ अर्द्धसरकारी संस्थान निविदा कर सकते है ।

निविदा का तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड दो अलग–अलग लिफाफे में मुहरबन्द होगा। दोनों लिफाफा को एक बड़े तीसरे लिफाफे में मुहरबन्द का निबंधित डाक अथवा हाथों – हाथ निर्धारित समय–सीमा के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकता हैं। तकनीकी बीड सही पाये जाने के उपरांत ही निविदादाता का वित्तीय बीड खोला जायेगा।

(क) तकनीकी निविदा की शर्तें:–

(1) निविदा के साथ अग्रधन के रूप में 1,00,000/–(एक लाख) रूपये का बैंक ड्राफट् 'उपायुक्त, रॉंची के पदनाम से संलग्न करना आवश्यक है।
(2) निविदा के साथ वाणिज्यकर निबंधन, पैन की छायाप्रति, अधीकृत विक्रेता होने का प्रमाण पत्र, अद्यतन आयकर रिटर्न, वाणिज्यकर स्वच्छता प्रमाण पत्र तथा GST के तहत फर्म का निबंधन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य हैं।
(3) निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने के संबंध में नोटरी द्वारा सत्यापित अद्यतन शपथ–पत्र देना होगा।
(4) निविदादाता का पिछले तीन वर्ष में औसतन टर्नओभर पचास लाख या अधिक का होना अनिवार्य होगा।
(5) निविदादाता को सामग्री की आपूर्त्ति के पश्चात् विपत्र को जाँचोपरांत नियमानुसार कर/करों की कटौती के पश्चात् भुगतान किया जायेगा।

(6) कम्बल का नमूना समर्पित करना होगा, जिसका न्यूनतम आकार 90''X60'' एवं वजन कम से कम 2.00 किलोग्राम होना आवश्यक हैं।

(7) सभी कम्बलों में झारखण्ड सरकार, श्रम,नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग का लोगों (LOGO) लगा होना चाहिए।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्तेः–

(1) प्रति अदद् कम्बल का दर अंकित करना अनिवार्य होगा।

निविदा के नियम एवं शर्ते

(1) निविदा में सफल निविदादाता को निर्धारित दर पर आपूर्ति आदेश होने के 10 दिनों के अन्दर कम्बलों की आपूर्ति निर्धारित संख्या में सभी प्रखण्ड मुख्यालय में करना होगा । इसके लिये आपूर्तिकर्ता को किसी प्रकार का अग्रिम का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(2) निविदा में अंकित दर के अतिरिक्त कोई हथालन या परिवहन व्यय अलग से देय नहीं होगा।

(3) एक निविदादाता/प्रतिष्ठानों को एक ही कम्बल का नमूना प्रस्तुत करना होगा।

(4) आपूर्ति किये जानेवाले कम्बल निविदा मे प्रस्तुत किये गये नमूना के अनुरूप होना अनिवार्य होगा।

(5) जिला क्रय समिति द्वारा निर्धारित दर पर एक से अधिक निविदादाता के बीच कार्यादेश देने का अधिकार जिला क्रय समिति को होगा।

(6) सभी अथवा किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार जिला क्रय समिति को सुरक्षित होगा।

उपायुक्त राँची

ज्ञापांक– 2183 /उ0 श्र0 राँची, दिनांक–04/12/2018

5. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, राँची को निविदा की hard copy तथा soft copy के साथ प्रेषित। अनुरोध हैं कि राज्यस्तरीय दैनिक अखबार एवं सभी स्थानीय दैनिक अखबारों में निविदा प्रकाशित करने की कार्रवाई की जाय

6. जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि निविदा को जिले के वेबसाइट में अपलोड कराया जाय।

उपायुक्त,राँची